भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

69AA 838398

आचार्य नरेन्द्रदेव (नगर) ... विकास समिति

जिला ... 358

प्रमाणपत्र ... के साथ संलग्न है

सहायक निबन्धक

फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

"स्मृति पत्र " सामाजिक एवं तकनीकी

1. समिति का नामः– आचार्य सदाशिव सूरज कली सामाजिक एवं तकनीकी विकास समिति
2. समिति का पूरा पताः– ग्राम–औवार, पो0–पिरथीगंज, जनपद– प्रतापगढ़।
3. समिति का कार्य क्षेत्रः– सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. समिति का उद्देश्य :–
   1. शिक्षा आदि के उन्नयन हेतु सम्बद्ध विभागों से अनुदान प्राप्त करना एवं कियान्वयन करना।
   2. वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्यकमों हेतु अनुदान प्राप्त कराना एवं कियान्वयन करना।
   3. विभिन्न शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना एवं तत्सम्बन्धित अनुदान प्राप्त करना।
   4. आपदा हेतु सहयोग प्रदान करना।
   5. रेडकास एव समाज सेवी संस्थाओं को अपेक्षित सहयोग प्रदान करना।
   6. प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ शिक्षा, ~~तकनीकी शिक्षा~~, प्रबन्धन शिक्षा, ~~चिकित्सा शिक्षा~~, धार्मिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, रोजगारपरक शिक्षा, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य आदि एवं तत्सम्बन्धी कार्यकमों के लिये शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना हेतु अनुदान प्राप्त कर राष्ट्र निर्माण में योगदान करना।
   7. पर्यावरण ,कृषि, एवं प्राकृतिक सम्पदाओं के संरक्षण हेतु कार्यकम सम्पादित करना।
   8. पंचायती राज, मानव संसाधन, खादी ग्रामोद्योग, लोक निर्माण, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य कार्यकमों आदि में सहभागिता सुनिश्चित करना।
   9. कम्प्यूटर शिक्षा तथा समय–समय पर प्रचलित शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा आदि के माध्यम से समाज को नई दिशा प्रदान करने हेतु अनुदान प्राप्त करना एवं कियान्वयन करना।
   10. जल संरक्षण, भूमि संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण, स्वच्छता कार्यकम, बायोगैस संयत्र, सौर ऊर्जा , अक्षय ऊर्जा, परम्परागत एवं गैर परम्परागत ऊर्जा के श्रोतों के संरक्षण एवं प्रचलन हेतु विभिन्न कार्यकर्मो का समयानुसार संचालन करना।
   11. लोक कल्याण तथा धर्मार्थ प्रयोजनार्थ समाज एवं राष्ट्र की उन्नति करना।
   12. समिति समाज के नैतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक एवं अध्यात्मिक उत्थान के कार्य करेगी।
   13. समिति द्वारा बिना किसी जाति, पांति, धर्म, सम्प्रदाय, पंथ, परम्परा, वर्ण, लिंग भेद के सभी जनसमुदाय के हित का ही ध्यान रखा जायेगा।
   14. समाज सेवा तथा राष्ट्रसेवा ही इसका परम लक्ष्य है।
   15. समिति सामाजिक बुराइयों को दूर करने, कुरीतियों

सोना उपाध्याय

अरविन्द कुमार कोरी

मुनेश्वर

Anil

भगवत प्रसाद

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
प्रयागराज

का उन्मूलन करने, सत्य प्रवृत्तियों के सम्बन्ध हेतु समय समय पर लोक शिक्षण हेतु विचार गोष्ठी /वाद विवाद, निबन्ध प्रतियोगिता एवं सम्मेलनों का आयोजन करेगी।

16. जन प्रचार के दृश्य, श्रव्य, तथा पठन पाठन द्वारा अच्छे विचारों एवं साहित्य का प्रचार प्रसार वितरण कर सामाजिक चेतना जागृति करना।
17. पिछड़े एवं अनुसूचित जातियों जनजातियों के शैक्षिक, वैवाहिक कल्याणार्थ विभिन्न कार्यकम सम्पन्न करना ।
18. समिति के सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय भी होंगें जिसके माध्यम से लोक चेतना तथा लोक कल्याण का कार्य प्रशस्त होगा।
19. बालकों के स्वास्थ्य, चरित्र निर्माण हेतु विभिन्न कार्यकम जैसे व्यायाम शाला, योग कक्षायें एवं बाल संस्कारशाला चलाना ।
20. महिला जागरण/स्वावलम्बन कार्यकम के अन्तर्गत महिलाओं को सिलाई, कढाई, गृह उद्योग/गृह विज्ञान सिखाते हुये परिवार निर्माण, लोक निर्माण, मातृ एवं शिशु कल्याण के कार्यकमों से उन्हे जोडना।
21. स्वास्थ्य संवर्धन, परिवार कल्याण के कार्यकम के अन्तर्गत लोगों को स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा देना। धर्मार्थ चिकित्सालय संचालन राजकीय योजनाओं के अन्तर्गत चिकित्सा सहायता प्राप्त कराना।
22. हरीतिमा संवर्धन कार्यकम के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण कार्यकम हेतु प्रेरित करना तथा स्वयं लगवाना।
23. गरीब एवं मेधावी बच्चों को तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं पुस्तकीय सहायता तथा आर्थिक सहायता प्रदान करना।
24. साहित्य/कला/शिक्षा के विकास हेतु कवि सम्मेलनों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
25. शिक्षा एवं विद्या के प्रसार हेतु विद्यालयों को प्रोत्साहन देना तथा यथासंभव समिति द्वारा संचालन करना मार्ग दर्शन प्रदान करना।
26. साक्षरता अभियान के अन्तर्गत प्रौढ, महिलाओं तथा उपेक्षित बालकों को भी साक्षर बनाना एवं उन्हे समाज की मुख्य धारा से जोडना।

हीरालाल

सोना उपाध्याय

श्यामशंकर उपाध्याय

अरविन्द कुमार कोरी

मुनेश्वर

Anil

भागवत प्रसाद

Anupam

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
इलाहाबाद

समिति के प्रबन्ध कारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम पते पद तथा व्यवसाय जिनको समिति के इस स्मृति पत्र तथा नियमों के अनुसार समिति का कार्यभार सौंपा गया।

कमांक	नाम/पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री हरि शंकर उपाध्याय पुत्र स्व0 सदाशिव	ग्राम–औवार, पो0–पिरथीगंज, जनपद– प्रतापगढ़।	अध्यक्ष	अध्यापन
2.	श्रीमती सोना उपध्याय पुत्री श्री भृगुनाथ उपाध्याय	ग्राम–सकरा पो0– दरछुट जनपद– प्रतापगढ़।	उपाध्यक्ष	गृहणी
3.	श्याम शंकर उपाध्याय पुत्र श्री हरि शंकर उपाध्याय	ग्राम–औवार, पो0–पिरथीगंज, जनपद– प्रतापगढ़।	प्रवन्धक	अध्यापन
4.	श्री अरविन्द कुमार कोरी पुत्र श्री दुखबीर प्रसाद	भुइदहा, प्रतापगढ़	सदस्य	कृषि
5.	श्री मुनेशर पटेल पुत्र स्व0 रामानन्द	औवार, पिरथीगंज, प्रतापगढ़।	सदस्य	कृषि
6.	श्री अनिल कुमार शुक्ल पुत्र श्री राजेन्द्र शुक्ल	हण्डौर, सगरा सुन्दरपुर, प्रतापगढ़।	सदस्य	अध्यापन
7.	श्री भगवत प्रसाद पुत्र स्व0 राम खेलावन	ग्राम–पूरनपुर, पो0–पिरथीगंज जनपद– प्रतापगढ़।	सदस्य	कृषि

हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता समिति की उपरोक्त समृति पत्र के नियमानुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन चाहते है।

कमांक	नाम/पिता/पति का नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	श्री हरि शंकर उपाध्याय पुत्र स्व0 सदाशिव	ग्राम–औवार, पो0–पिरथीगंज, जनपद– प्रतापगढ़।	[signature]
2.	श्रीमती सोना उपध्याय पुत्री श्री भृगुनाथ उपाध्याय	ग्राम–सकरा पो0– दरछुट जनपद– प्रतापगढ़।	सोना उपाध्याय
3.	श्याम शंकर उपाध्याय पुत्र श्री हरि शंकर उपाध्याय	ग्राम–औवार, पो0–पिरथीगंज, जनपद– प्रतापगढ़।	[signature]
4.	श्री अरविन्द कुमार कोरी पुत्र श्री दुखबीर प्रसाद	भुइदहा, प्रतापगढ़	अरविन्द कुमार कोरी
5.	श्री मुनेशर पटेल पुत्र स्व0 रामानन्द	औवार, पिरथीगंज, प्रतापगढ़।	मुनेशर
6.	श्री अनिल कुमार शुक्ल पुत्र श्री राजेन्द्र शुक्ल	हण्डौर, सगरा सुन्दरपुर, प्रतापगढ़।	Anil
7.	श्री भगवत प्रसाद पुत्र स्व0 राम खेलावन	ग्राम–पूरनपुर, पो0–पिरथीगंज जनपद– प्रतापगढ़।	भगवत प्रसाद

[signature]

सत्य प्रतिलिपि

[signature]

फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

"नियमावली"

सामाजिक एवं तकनीकी

1. समिति का नामः— आचार्य सदाशिव सूरज कली विकास समिति
2. समिति का पूरा पताः— ग्राम—औवार, पो0—पिरथीगंज, जनपद— प्रतापगढ़।
3. समिति का कार्य क्षेत्रः— सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. समिति की सदस्यता तथा सदस्यों का वर्गः—

आजीवन सदस्य— जो व्यक्ति समिति के विकास हेतु 501/—रू0 नकद या इतने मूल्य की सम्पत्ति चल या अचल रूप से प्रदान करेगा, वह समिति का आजीवन सदस्य होगा।

सामान्य सदस्य— जो व्यक्ति समिति के उद्देश्यों में आस्था रखते हों वे समिति को निस्वार्थ भाव से 51/—रू0 वार्षिक सदस्यता शुल्क देने से सामान्य सदस्य होंगें।

5. सदस्यता की समाप्तिः—

1. मृत्यु हो जाने पर।
2. पागल या दिवालिया हो जाने पर।
3. समिति के विपरीत हानि का कार्य करने पर।
4. अविश्वास प्रस्ताव या त्याग पत्र पारित होने पर।
5. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न अदा करने पर।
6. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।
7. नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।

6. समिति के अंगः—

1. साधारण सभा।
2. प्रबन्ध कारिणी समिति।

7. साधारण सभाः—

गठन— समिति के आजीवन और सामान्य सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

सूचना अवधि— साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व विशेष बैठक की सूचना 7 दिन के पूर्व सदस्यों को दे दी जायेगी।

बैठकें— साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जासकती है।

गणपूर्ति— साधारण सभा के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति, गणपूर्ति मान्य होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि— साधारण सभा का विशेष अधिवेशन की तिथि वर्ष में एक बार होगी जिसकी तिथि प्रबन्ध कारिणी समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत से तय किया जायेगा।

साधारण सभा के कर्तव्य

1. प्रबन्ध कारिणी समिति का निर्वाचन करना।
2. समिति का वार्षिक बजट पास करना।
3. समिति का वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
4. समिति के नियमों एवं विनियोग किया में संशोधन करना।
5. समिति के अन्तर्गत संचालित किये जाने वाले विभिन्न संस्थानों एवं कार्यकमों हेतु प्रबन्ध समिति का चुनाव करना । यह चुनाव, समिति के प्रबन्ध कारिणी

सीना उपाध्याय
अरविन्द कुमार कोरी
भागवत प्रसाद
Anil

सत्य प्रतिलिपि

के अनुमति से ही सम्पादित होगा।

8. **प्रबन्ध कारिणी समितिः–**

गठन– समिति के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर प्रबन्ध कारिणी समिति का गठन जिसमें अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष एक, प्रबन्धक एक एवं चार सदस्य होगें इस प्रकार कुल संख्या सात होगी।

सूचना अवधि– प्रबन्ध कारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम सात दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व सदस्यों को दी जायेगी।

बैठकें– प्रबन्ध कारिणी समिति की सामान्य बैठकें वर्ष में एक बार व विशेष बैठकें आवश्यकतानुसार किसी भी समय अध्यक्ष या प्रबन्धक द्वारा बुलाई जा सकती हैं।

गणपूर्ति– प्रबन्ध समिति के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति– प्रबन्ध कारिणी समिति के अन्तर्गत किसी प्रकार की आकस्मिक स्थान की रिक्ति होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिये किया जायेगा।

प्रबन्ध कारिणी समिति के कर्तव्य

1. समिति की उन्नति के आवश्यक कार्य करना।
2. समिति का वार्षिक बजट तैयार करना।
3. समिति का वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
4. दान अनुदान एवं चन्दा प्राप्त कर उद्देश्यों की पूर्ति में लगाना।
5. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग, जनप्रतिनिधियों, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं, केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न निधियों एवं अन्य सरकारी ,अर्ध सरकारी विभागों बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से नियमानुसार ऋण /अनुदान व सहायता प्राप्त करना।

कार्यकाल प्रबन्ध कारिणी समिति का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।

9. **प्रबन्ध कारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :–**

अध्यक्ष

1. सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठकों के लिये दिनाकों का अनुमोदन करना, परिवर्तन करना एवं बैठकों का निर्धारण करना।
3. समाप्त मतदानों पर एक निर्णायक मत देना।
4. समय पर समिति की आवश्यक/विशेष बैठकें बुलायेगा।

उपाध्यक्ष

1. अध्यक्ष की अनुपस्थित में सभा की अध्यक्षता करना।
2. अध्यक्ष के निर्देशानुसार समिति के समस्त गतिविधियों में ताल मेल बैठाना।

प्रबन्धक

1. सदस्यों के नामांकन पत्र पर विचार करना।
2. लेखा/अभिलेखों पर हस्ताक्षर करना।
3. विल व बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
इलाहाबाद

4. चल एवं अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
5. पक्ष एवं विपक्ष के मुकदमों की समिति के हित में पैरवी करना।
6. समिति के नियमों को कार्यान्वित करना।
7. सरकारी अर्धसरकारी तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं/अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों से सम्पर्क कर समिति के उद्देश्यों को सफल बनाना।
8. बैंक अथवा डाकघर में जमा धनराशि अपने हस्ताक्षर से निकालना एवं खर्च की अनुमति देना।
9. समिति की समस्त कार्यवाही को स्वयं निर्देशानुसार करायेगा।
10. सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं से वित्तीय लेन देन को हस्ताक्षरित करना।
11. समिति की उन्नति के लिये आवश्यक कार्य करना।
12. समिति की ओर से पत्र व्यवहार करना।
13. बैठक में शांति व्यवस्था कायम रखना।
14. पिछली कार्यवाही को बैठक में पढ़कर सुनाना।
15. कार्यवाही को रजिस्टर पर नोट करना।

10. <u>समिति के नियमों एवं विनियमों में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन प्रक्रियाः—</u>

समिति के नियमों एवं विनियमों में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन सम्बन्धी कार्यवाही साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा की जायेगी।

11. <u>समिति का कोषः—</u>

जिले के किसी मान्यता प्राप्त/राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर में समिति के नाम खाता खोलकर किया जायेगा। जिसका आहरण एवं खर्च प्रबन्धक के हस्ताक्षर एवं मुहर पर ही किया जायेगा।

12. <u>समिति के आय व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट):—</u>

समिति के आय व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष योग्य चार्टर एकाउंटेन्ट द्वारा किया जायेगा।

13. <u>समिति के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व—</u>

समिति द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व प्रबन्धक पर होगा अथवा उनके द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्ति पर होगा।

14. <u>समिति के अभिलेखः—</u>

1. सदस्यता रजिस्टर।
2. कार्यवाही रजिस्टर।
3. स्टाक रजिस्टर।
4. लेजर बुक।
5. एजेण्डा रजिस्टर।
6. कैशबुक आदि।

15. समिति के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक—

हीरालाल
सोना उपाध्याय
अरविन्द कुमार कोरी
गुनेश्वर
Anil
भागवत प्रसाद

Anupam

सत्य प्रतिलिपि

फर्म्स ... चिट्स
गाजियाबाद